बिहार सरकार

परिवहन विभाग

निविदा सूचना

परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में उपयोग हेतु उत्कृष्ट कोटि के लेखन एवं अन्य सामग्रियों के क्रय दर निर्धारण हेतु इच्छुक आूर्त्तिकर्त्ताओं से दिनांक 27.7.2016 को अपराह्न 1.00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे प्राप्त सभी निविदाओं को उनके निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएगी। निविदा की शर्त्तों एवं लेखन तथा अन्य सामग्रियों की सूची अधाहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के सूचना–पट्ट एवं विभागीय बेवसाइट www.transport.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

निविदा की शर्त्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में हेनी चाहिए। जो निविदादाता तकनीकी निविदा में सफल होगें, उनकी ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
2. अग्रधन के रूप में राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के पदनाम से रू0 10,000.00 (दस हजार रूपये) की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।

   (नोटः– किसी भी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किया जाएगा।)
3. सभी निविदा में फर्म/एजेंसी का नाम, निविदादाता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
4. पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अद्यतन वाणिज्य–कर प्रमाण–पत्र/वैट निबंधन प्रमाण–पत्र तथा वर्ष 2015–16 का बिक्री कर/वैट अदायगी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के पैड पर यह लिखित देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे "काली सूची" में दर्ज नहीं है तथा दी गई सूचनाएँ सही है।
7. वैसे प्रतिष्ठान निविदा में भाग लेगें, जिनका किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठान हो।
8. निविदा खोलने के समय निविदा में वर्णित सामग्रियों का नमूना दिखाना होगा।
9. आपूर्त्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों के नाम एवं मानक के अनुसार मात्रा तथा दर अंकों में तथा शब्दों में लिखा होना चाहिए।
10. सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु अलग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
11. सामग्रियों की आपूर्त्ति परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में ली जायेगी तथा परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होंगी।
12. सफल निविदादाता को आपूर्त्ति की जानेवाली सामग्रियों की एक–एक सैम्पुल विभाग में जमा करना होगा।
13. सफल निविदादाता को दर एवं आपूर्त्ति के संबंध में एकरारनामा करना होगा जो कम से कम एक वर्ष के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति से इसे आगे के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। एकरारनामा अवधि के बीच में यदि आपूर्त्तिकर्ता सामग्री आपूर्त्ति करना बंद कर देते हैं तो उनकी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
14. विभिन्न विभागों/निकायों में आपूर्त्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र यदि हो तो दे सकते है।
15. असफल निविदादाताओं द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
16. किसी भी समय निविदा की प्रक्रिया को अमान्य करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।